कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ.ग.)

:: निविदा की शर्तें ::

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए। निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि कौन–कौन से उद्योग की सामग्री प्रदाय हेतु निविदा दी गई है। लिस्ट में प्रत्येक वस्तु के नाम के सामने कम्पनी (ब्राण्ड) का उल्लेख होना आवश्यक है एवं सामग्री का मूल्य MRP मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि निविदा में दर्शित मूल्य अगर MRP मूल्य से अधिक हो तो उसका उचित कारण दर्शित होना अनिर्वाय है, अन्यथा कि स्थिति में ब्लेक लिस्टेड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

2. सीलबंद लिफाफे के साथ प्रत्येक निविदाकार को विक्रयकर निष्कासन प्रमाण पत्र, जी.एस. टी. का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पेनकार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सत्यापित कर तथा आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नही है इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3. एक बड़े लिफाफे जिसके ऊपर निविदा क्रमांक..... दिनांक / / में आवश्यक सामग्री प्रदायगी के लिए निविदा लिखा जावे।
   (अ) निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत किया जावेगा।
   (ब) एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) **जेल अधीक्षक महोदय को संबोधित** अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जाएगा।
   (स) अमानत राशि (ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

4. (अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्मे की अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का **1 (एक) प्रतिशत** अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त की जाये। यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जाएगी।
   (ब) प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक–54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की बेसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हे शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जायेगी।
   (स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हे छूट प्राप्त होगा।

5. निविदा मे पात्र सफल निविदाकार को क्रय–आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम **3 (तीन) प्रतिशत** सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये।

6. (अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा।
   (ब) निविदाकार को सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप–खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन–देन का कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। "8443 – सिविल जमा राशियां 103 – प्रतिभूति जमा"
   (स) निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनूसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट (एफ.डी.आर./टी. डी.आर.) द्वारा जमा कर सकता है।

क्रमश :.....

7. राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने।

निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहॉ आवश्यक हो लिया जावें।

8. प्रदायगी आदेश में उल्लेखित समयावधि के अन्दर सामग्री प्रदाय करना होगा। सामग्री की अत्याधिक आवश्यकता में तुरंत सामग्री प्रदाय करना होगा। यदि निर्धारित समयावधि के अन्दर सामग्री प्रदाय नही किया गया तो प्रदायकर्ता को किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सामग्री बाजार से क्रय कर लिया जायेगा एवं शासन की हानि पूर्ति के लिए संबंधित व्यापारी की धरोहर की राशि से काट ली जावेगी तथा निविदाकार तथा उसकी फर्म को इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित कर दिया जावेगा। व्यापारीगण सूची में उल्लेखित मांग के अनुरूप (ब्राण्ड, साईज, पैक, माप की ईकाई आदि) उपकरण की दरें ही निविदा में प्रस्तुत करें। जिससे उपकरण की मात्रा/गुणवत्ता में पारदर्शिता बनी रहे।

9. जेल अधीक्षक क्रय समिति की अनुशंसा पर क्रय करने हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात यदि वे क्रय समिति के अनुशंसाओं से संतुष्ट नहीं है, तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकते हैं। जेल अधीक्षक यह भी देखेंगे की किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है वे उसके बारे में यह भी सुनिश्चित करेगें की उसके पास कार्य का ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, उसके पास भण्डार की पर्याप्त व्यवस्था है अथवा नहीं। प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहॉ स्थित है, जहॉ से वह विभिन्न स्थानों पर सामग्री प्रदाय करेगा की जानकारी तथा प्रदाय सामग्रियों का निरीक्षण जेल अधीक्षक निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय भी कर सकतें है, उक्त बात का उल्लेख करारनामा में स्पष्ट अभिलिखित करना होगा।

10. निविदायें उपस्थित निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष सायं **4:00** बजे खोली जायेंगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन किया भी जा सकता है।

11. निविदाकार को सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर निर्देशित समय पर स्वयं के खर्चे पर करना होगा। सामग्री का परीक्षण जेल गेट पर किया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सामग्री नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत सामग्री निविदाकार को स्वयं के व्यय पर तुरन्त वापस ले जाना होगा।

12. निविदाकार को सामग्री का **मूल्य समस्त कर सहित (आयकर+GST एवं अन्य टेक्स)** देना होगा। पृथक से किसी कर का भुगतान नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

13. निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार जेल अधीक्षक/अध्यक्ष क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

14. शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री, निविदाकारों से क्रय नहीं की जावेंगी। प्रत्येक निविदाकार को वस्तु का दर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। काट–पीट एवं ऊपर लेखन मान्य नहीं होगा व्यापारियों की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। सूची में वस्तु के उल्लेखित मात्रा में क्रय करते समय आवश्यकतानुसार कमी या आधिक्य किया जा सकता है।

क्रमश :.....

15. समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. उक्त निविदा बजट आने की प्रत्याशा में आमंत्रित है। बजट उपलब्ध होने पर ही क्रय की कार्यवाही की जावेगी।
17. प्रदायगी आदेश प्राप्त करने से पूर्व निविदाकार को स्टाम्प पेपर पर इस आशय का उल्लेख करते हुये करारनामा देना होगा कि वे नियत समयावधि के अंदर तथा मापदंड के अनुरुप सामग्री निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन करते हुये प्रदाय करेंगे। (1) समयावधि तथा निर्धारित मापदण्डो के विपरीत पाये जाने पर बाजार दर से सामग्रियों की खरीदी की जाकर, आधिक्य मूल्य सफल निविदाकार की जमा सुरक्षा निधि से वसूल किया जावेगा या भू राजस्व की वसूली से किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया जावेगा।
18. प्रत्येक निविदाकार को निविदा निर्धारित समय पर निविदा पेटी में डालना है। व्यक्तिशः या डाक द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत की गई भी निविदा मान्य की जावेगी।
19. निविदाकार को निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा, अन्य प्रप्रत्रों में भरकर दी गई निविदायें मान्य नहीं होगी।
20. देयक प्राप्त होने पर उसके भुगतान में जो युक्तियुक्त समय लगेगा। उस बीच के अवधि का ब्याज आदि भुगतान नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. प्रस्तुत निविदाकार को किसी भी जेल में संचालित उद्योग से संबंधित सामग्री प्रदाय करने का कम से कम 01 वर्ष का या इससे अधिक का अनुभव होना वांछनीय है। निविदाकारों के भावों में समानता होने पर अनुभव/ज्यादा अनुभव को प्राथमिक्ता दी जावेगी।
22. निविदा में प्रस्तुत सूची में दर्शित मात्रा, प्राप्त कार्यदेशों के अनुसार, क्रय मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
23. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है।
    - निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **31.01.2023** समय सुबह **09:00** बजे से दोपहर **03:00** बजे तक जेल गेट।
    - निविदा खोलने की तिथि **31.01.2023** समय **4:00** बजे, स्थान–कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ.ग.) ।

(खोमेश मण्डावी)
जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ.ग.)